

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 08th June, 2017.

ALL CONCERNED

Sub: Status of Volleyball Federation of India

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2017/E(Sports)/4(1)/1/VFI Status dated 08/02/2017 (RBE No. 11/2017 – Clarification/ Corrigendum No. 78) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Railway Board's earlier letter dated 31/12/2010 (RBE No. 189B/2010) as referred in Board's present letter, was communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 5/2011.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.


(S. Chakraborty)
Sr. Personnel Officer/ BGB
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2017/E(Sports)/4(1)/1/VFI Status dated 08/02/2017 (RBE No. 11/2017 – Clarification/ Corrigendum No. 78) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

विषय: Status of Volleyball Federation of India.
सन्दर्भ: Board's letter no. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

At present there are two factions of Volleyball Federation of India, none of which is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports. Due to this dispute Ministry of Railway (Railway Board) is not dealing with any faction of Volleyball Federation of India.

In view of above, it has been decided that the sports achievements in the event conducted by Volleyball Federation of India or its affiliated units after 02.01.2017, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters, till further order. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of Volleyball, will be permissible for said purpose.


(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

क्रम सं. - 33/2017

कोलकाता, दिनांक 8 जून, 2017

सं. ही पी ओ/एस सी/एस ए एम/पोल/पार्ट-II

सर्व संबंधित

विषय:- वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थिति।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2017/ई (स्पोर्ट्स) /4(1)/1/बी एफ आईस्टैटस दिनांक 08.02.2017 (आर बी ई सं. 11/2017 के विषयगत मामले में स्पष्टीकरण/ शुद्धिपत्र सं. 78) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

इस संबंध में यह, उल्लेख किया जाता है कि बोर्ड के वर्तमान पत्र में यथा संदर्भित रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 31.12.2010 (आर बी सं. 189 बी/2010) की प्रतिलिपि मुकाधि/कोलकाता के क्रम सं. 5/2011 के तहत सर्व संबंधित को संसूचित किया गया था।

उपर्युक्त पत्र सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है।

एस.चक्रवर्ती

(एस. चक्रवर्ती)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/बीजीबी

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

.....
सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स) 4(1)/1 बी एफ आई स्टैटस दिनांक 08.02.2017 (आर बी ई सं. 11/2017-स्पष्टीकरण शुद्धिपत्र सं.78) की प्रतिलिपि।

विषय: वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थिति।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)1 (पॉलिसी) (आरबीई सं. 189बी/2010) तथा इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

इस समय वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के दो गुट हैं, जिनमें से किसी भी गुट को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस विवाद के कारण रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के किसी भी गुट के साथ डील नहीं कर रहा है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि 02.01.2017 के पश्चात् वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्राप्त की गई खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन तथा स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों के लिए अगले आदेश होने तक विचार नहीं किया जाएगा। बहरहाल, वॉलीबाल के खेल में मान्यताप्राप्त खेलकूद उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए अनुमेल्य होंगे।


(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक/स्था.(खेलकूद)